(c) The net benefit at the extension of MODVAT scheme works out to about Rs. 1.70 per kg. on PFY and Rs. 4.50 per kg. on PSF, after taking into account the increase in special excise doty in the 1991-92 Budget.

(d) The Government propose to hold meetings with the representatives of trade and industry regarding the prices.

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या

288. **श्रीमती रत्न कुमारी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कितने केन्द्रीय विद्यालय काम कर रहे हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश में और अधिक संख्या में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)

(क) वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 70 केन्द्रीय विद्यालय कार्यरत है जैसा कि संलग्न अनुपत्र से स्पष्ट है। [देखिए परिशिष्ट 160 अनुपत्र सं० 15]

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालयों को खोला जाना आवश्यक अवस्थापना अर्थात भूमि, अस्थायी आवास और कर्मचारियों के लिए 50% रिहायशी स्थान और संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रशासकीय विचारों पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए 15 प्रस्ताव प्राप्त हुए है जिनका ब्यौरा संलग्न अनुपत्र में दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट 160, अनुपत्र सं० 16]

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

289 **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को सफल बनाने हेतु क्रियान्वित किया जा रहा है तथा पिछले दो वर्षों के दौरान इन योजनाओं पर मद-वार कितनी धन-राशि व्यय की गई है ; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में कितने अधिकारियों ने विदेशों का भ्रमण किया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान हुए योजनावार-व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के 16 और राज्य सरकारों के 2 अधिकारी प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित

विवरण

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत गत दो वर्षों के दौरान हुआ योजनावार व्यय

(रुपए लाख में)

क्रम सं०	योजना का नाम	व्यय	
		1989-90	1990-91
1.	जिला कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं	3885.65	2885.46
2.	उत्तरसाक्षरता व सतत शिक्षा . .	1163.04	820.00

1	2	3	4
3.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचों को मजबूत बनाना	596.51	622.31
4.	कार्यात्मक साक्षरता जन कार्यक्रम . .	300.00	669.00
5.	स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता योजना . .	1948.00	1353.63
6.	श्रमिक विद्यापीठों . . .	92.15	97.59
7.	प्रौद्योगिकी प्रदर्शन . . .	344.10	185.00
8.	नेहरू युवक केन्द्रों	283.00	200.00
9.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण . .	13.59	8.36
10.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय . . .	214.96	285.90
11.	विशेष परियोजनाएं . . .	—	5978.90
12.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान . . .	—	8.50
	कुल : .	8841.00	13114.65

वनरोपण कार्यक्रम के विस्तार की योजनाएं

290. **श्री शंकर दयाल सिंह** : : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "वनरोपण" कार्यक्रम का विस्तार करने तथा नये किस्म के पौधे लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयनार्थ गैर-सरकारी क्षेत्रों से भी मदद ले रही है या लेने जा रही है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वनरोपण के प्रयोजनार्थ अब तक किन-किन किस्मों के पौधे लगाए जाते रहे हैं तथा उनका पर्यावरण से क्या संबंध है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कमलनाथ) : (क) केन्द्र और राज्य प्लान स्कीमों के अंतर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए जाते हैं । सातवीं योजना अवधि (1985–90) के दौरान कुल 8.8 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र पर वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए गए जबकि लक्ष्य 8.6 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का रखा गया था । वर्ष 1950 से 1985 तक की पिछली योजना अवधियों में कुल 8.2 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र पर उक्त कार्यकलाप चलाए गए। आठवीं योजना के दौरान कार्यक्रम का विस्तार किए जाने की आशा है जो कि धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(ख) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यह व्यवस्था है कि व्यक्तियों और संस्थानों को उनकी अपनी भूमि पर वृक्ष-खेती करने के लिए प्रेरित किया जाए और उन्हें सुविधायें प्रदान की जाएं, और यह भी कि जहां तक संभव हो वनों पर आधारित उद्योग अपेक्षित कच्चे माल को पैदा करें । इसके लिए विशेषकर उन व्यक्तियों के साथ जो कच्चा माल पैदा कर सकते हों के साथ सीधे संबंध स्थापित किया जाए और उन्हें ऋण, तकनीकी सलाह, कटाई और परिवहन सुविधायें आदि सहायता के रूप में दी जायें ।